बैंक ने अपनी पवनचक्की पिरयोजना के अंतर्गत 10 पवनचिक्कयाँ (प्रत्येक 1.5 मेगावाट की) तीन राज्यों, अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात और तिमलनाडु में स्थापना की है। इन पवनचिक्कयों से पैदा होने वाली बिजली का इन राज्यों में बैंक के चुनिंदा कार्यालयों / शाखाओं में उपयोग किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक भारत में पहला बैंक है जिसने पूरे बैंकिंग उद्योग में अपने उपयोग के लिए "हिरत बिजली" की संकल्पना को अपनाया है।

## नया उत्पाद

शिपब्रेकिंग यूनिटों का वित्तपोषण करना।

# उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और उससे विचलन की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2010 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत हैं;
- iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और भारतीय स्टेट बैंक

- अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और
- iv उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

#### आभार


वर्ष के दौरान, श्री अरुण रामनाथन के स्थान पर, जो 30 अप्रैल 2009 को सेवानिवृत्त हुए, दिनांक 13 मई 2009 से श्री अशोक चावला, वित्त सचिव, भारत सरकार को धारा 19 (ङ) के अंतर्गत बोर्ड में नामित किया गया।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की है।

निदेशकों ने सभी महत्वपूर्ण ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजारों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को भी उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम की उन्होंने सराहना की है।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से, ओ.पी. भट्ट

दिनांक : 14 मई 2010 अध्यक्ष



#### **NEW PRODUCT:**

· Financing to Shipbreaking Units.

## **Responsibility Statement**

The Board of Directors hereby states:

- that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- ii. that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31<sup>st</sup> March 2010, and of the profit and loss of the Bank for the year ended on that date;
- iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and
- iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

## **Acknowledgement**

During the year, Shri Ashok Chawla, Finance Secretary, Govt. of India was nominated to the Board under Section 19 (e) with effect from 13th May 2009, in place of Shri Arun Ramanathan, who retired on 30<sup>th</sup> April 2009.

The Directors express their gratitude for the guidance and cooperation received from the Government of India, RBI, SEBI, IRDA and other government and regulatory agencies.

The Directors also thank all the valued clients, shareholders, banks and financial institutions, stock exchanges, rating agencies and other stakeholders for their patronage and support, and take this opportunity to express their appreciation of the dedicated and committed team of employees of the Bank.

For and on behalf of the Central Board of Directors

O.P. Bhatt

Date: 14th May, 2010 Chairman